भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 18

उत्तर देने की तारीख 20.07.2026

कला संस्कृति विकास योजना

18. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :
कैप्टन बृजेश चौटा :
श्रीमती हिमाद्री सिंह :
श्री चिन्तामणि महाराज :
श्री मनोज तिवारी :
श्री मनीष जायसवाल :
श्री बंटी विवेक साहू :
श्री अरुण गोविल :
श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी :
श्री दिलेश्वर कामैत :
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन :
श्री अभिमन्यु सेठी :
श्री रोडमल नागर :
श्री अनन्त नायक :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री गोडम नागेश :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री अमरसिंग टिस्सो:
श्री सुनील कुमार :
श्री नव चरण माझी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) की प्रमुख विशेषताओं, उद्देश्यों, प्रमुख घटकों और वित्तपोषण ढांचे का ब्यौरा क्या है और जनजातीय और ग्रामीण कलाकारों के लिए निर्धारित लाभों के साथ-साथ स्वीकृत परियोजनाओं और उपयोग/आवंटित/स्वीकृत और जारी की गई निधियों के साथ-साथ इन

परियोजनाओं की स्थिति क्या है और वर्ष, योजना/घटक और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और असम में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान दक्षिण कन्नड़ में यक्षगान समूहों सहित कलाकारों, सांस्कृतिक संगठनों और जनजातीय सहित प्रदर्शन कला समूहों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत उनकी संख्या कितनी है और विशेषकर शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुमोदित योजनाओं सहित श्रेणी-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(ग) क्या केएसवीवाई के अंतर्गत असम सरकार अथवा कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में सांस्कृतिक संगठनों के कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत छठी अनुसूची के क्षेत्रों जैसे कि शहडोल क्षेत्र की स्थानीय गोंड और बैगा कला शैलियां, दोन क्षेत्र, बिहार के वाल्मीकिनगर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के सरगुजा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की स्थानीय आदिवासी कला शैलियों, संस्कृति और लोक परंपराओं, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक उत्सवों और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने तथा उनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ.) केएसवीवाई योजनाओं/घटकों के कवरेज को बढ़ाने और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, अमूर्त सहित सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और उभरते कलाकारों को सहायता प्रदान करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेष रूप से पिछड़े और जनजातीय बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(च) स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उभरते कलाकारों और पारंपरिक प्रदर्शन करने वाले समूहों की भागीदारी में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार की मेरठ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो प्रस्तावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत असम और हिमाचल प्रदेश राज्य सहित, देश भर के मंच कलाओं में कार्यरत

जनजातीय और ग्रामीण कलाकारों को शामिल करते हुए पात्र सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तिगत कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम होने के नाते, केएसवीवाई के अंतर्गत आवंटित वार्षिक बजट के माध्यम से भारत की संचित निधि से पात्र लाभार्थियों को निधियां जारी की जाती हैं। केएसवीवाई के अंतर्गत विभिन्न स्कीम घटकों का संक्षिप्त विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

केएसवीवाई के अंतर्गत किसी जिला-वार, श्रेणी-वार और निर्वाचन क्षेत्र-वार डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, संस्वीकृत परियोजनाओं और कलाकारों, सांस्कृतिक संगठनों (दक्षिण कन्नड़ में यक्षगान समूहों और जनजातीय समूहों को शामिल करते हुए मंच कला समूहों सहित) को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के साथ-साथ विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान असम और हिमाचल प्रदेश राज्यों सहित देश भर के लाभार्थियों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ग): वर्तमान में, केएसवीवाई के अंतर्गत असम सरकार अथवा कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में सांस्कृतिक संगठनों की ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ): सरकार द्वारा कला संस्कृति विकास योजना (केएसवीवाई) के माध्यम से जनजातीय कला, लोक परंपराओं, संगीत, नृत्य, सांस्कृतिक उत्सवों और सांस्कृतिक धरोहर को संवर्धित और परिरक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, देश भर में लोक/जनजातीय कला एवं संस्कृति के विभिन्न रूपों को संरक्षित, संवर्धित और परिरक्षित करने हेतु भारत सरकार ने सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की है जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। ये जेडसीसी पूरे भारत में नियमित आधार पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यकलाप और कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनके लिए उन्हें वार्षिक सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ड.) और (च): केएसवीवाई की स्कीमों/घटकों के कवरेज को बढ़ाने, सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा उदीयमान कलाकारों और पारंपरिक मंच कला समूहों की भागीदारी में सुधार लाने हेतु संस्कृति मंत्रालय समाचारपत्रों में विज्ञापनों, मंत्रालय की वेबसाइट, सोशल मीडिया मंचों, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों और अकादमियों के माध्यम से इसकी स्कीमों से संबंधित सूचना का प्रचार-प्रसार करने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है। इस संबंध में केएसवीवाई के विभिन्न स्कीम घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान संस्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-III** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के संवर्धन और विकास के लिए 'रचनात्मक भारत' नामक सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप

विकसित किया है जिसमें क्षमता निर्माण, बाजार पहुंच, नवोन्मेष, डिजिटल सक्षमता और सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता की परिकल्पना की गई है ताकि उदीयमान कलाकारों और रचनात्मक व्यावसायिकों के लिए सहायता सहित रचनात्मक अर्थव्यवस्था के सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

मंत्रालय अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों और अकादमियों के माध्यम से उदीयमान कलाकारों को उनके सदस्य राज्यों में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों में शामिल करके मंच प्रदान करता है। इन भागीदारियों से कलाकार अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने, व्यापक स्तर पर अनुभव प्राप्त करने और पारंपरिक कला रूपों को परिरक्षित एवं संरक्षित करने में सक्षम होते हैं। कलाकारों को मानदेय, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, भोजन और आवास, स्थानीय परिवहन आदि की सुविधा भी प्रदान की जाती है जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और वे अपनी कला को सतत आजीविका के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं जिसके द्वारा वे आत्मनिर्भर बन पाते हैं।

(छ): वर्तमान में मेरठ, उत्तर प्रदेश में आईजीएनसीए का क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

'कला संस्कृति विकास योजना' के संबंध में दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. **गुरु-शिष्य परंपरा (रेपर्टरी अनुदान) के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच, संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। गुरु के लिए सहायता की राशि 15000/- रु. प्रति माह है और शिष्य के लिए कलाकार की आयु के आधार पर यह राशि 2000-10000/- रुपये प्रति माह है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता: इस स्कीम के निम्नलिखित उप घटक हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, भारत में पंजीकृत हो, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों; जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता की राशि 1.00 करोड़ रुपए तक है जिसे विशेष मामलों में 5.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियों, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाओं, महोत्सवों, प्रदर्शनियों, विचार-गोष्ठियों, नृत्य नाटक-रंगमंच, संगीत सृजन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन के लिए अनुदान की राशि 5 लाख रुपए है जिसे विशेष मामलों में 20.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए अनुदान की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपए है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में लगे बौद्ध मठों सहित स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी संगठन को प्रति वर्ष 30.00 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।

v**. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना संबंधी निर्माण (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपए तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi. **स्थानीय महोत्सव और मेले**

इस स्कीम का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के आयोजन के लिए सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों (आरएसएम) का आयोजन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) के माध्यम से किया जाता है जहां पूरे देश से बड़ी संख्या में कलाकारों को उनकी प्रतिभाएं प्रदर्शित करने के लिए शामिल किया जाता है। नवम्बर, 2015 से, संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश में चौदह (14) आरएसएम आयोजित किए गए हैं।

3. टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत), प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रुम आदि के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय / राज्य सरकार की एजेंसियों /

निकायों, नगर निगमों, लाभ न कमाने वाले ख्यातिप्राप्त संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्धन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए आमतौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत प्राप्तकर्ता राज्य सरकार/एनजीओ द्वारा या पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं हेतु संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर, केन्द्रीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी (समतुल्य हिस्सेदारी) का अनुपात 60:40 है।

4. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम : इस स्कीम में निम्नलिखित तीन घटक हैं:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष के आयु वर्ग (कनिष्ठ) और 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों (वरिष्ठ) को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपए प्रतिमाह और 20,000/- रुपए प्रतिमाह की दर से 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए प्रतिमाह 5000/- रुपए की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम घटक का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर कार्य करने हेतु संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में अन्य चिन्हित सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 अध्येतावृत्तियां

तक (80,000/-रुपए प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 छात्रवृत्तियां तक (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति 04 बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयोवृद्ध कलाकारों को 6000/- रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 72,000/- रुपए प्रति वर्ष से कम है और जिन्होंने कला, साहित्य आदि के उनके विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, यह वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को अंतरित की जाती है।

अनुलग्नक-II

'कला संस्कृति विकास योजना' के संबंध में दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पांच वर्ष और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान केएसवीवाई के अंतर्गत देश भर में लाभार्थियों की घटक-वार संख्या और संवितरित राशि

''गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)'' स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0			0		1	0.22		
2	आंध्र प्रदेश	2	5.52	6	16.42	16	40.38	12	35.07	14	76.88	8	9.7
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0					0	0	3	1.55
4	असम	24	227.1	37	214.54	54	277.54	23	263.25	80	531.46	103	124.75
5	बिहार	30	190.8	64	363.82	158	697.37	50	347.56	157	1080.99	146	149.55
6	चंडीगढ़	1	14.16	5	49.2	10	69.96	7	91.65	10	49.3		
7	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	9	33.52	2	13.12	9	74.52	19	24.00
8	दिल्ली	63	535.16	98	793.36	161	1065.18	87	823.77	169	1409.66	92	85.65
9	गुजरात	5	29.16	4	27.84	13	71.42	11	48.28	13	64.22	2	3.00
10	हरियाणा	4	30.84	24	93.06	23	124.2	15	138.16	21	105.7	2	1.65
11	हिमाचल प्रदेश	4	48.06	4	51.12	5	55.28	6	90.95	11	96.8		
12	जम्मू और कश्मीर	7	51.48	15	120.84	37	118.2	27	215.66	54	399.46	9	8.10
13	झारखंड	2	21.54	13	69.18	18	100.64	13	47.65	24	181.4	20	19.30
14	कर्नाटक	60	470.04	113	807.4	201	1009.94	96	738.67	288	2002.51	98	81.45
15	केरल	9	81.12	37	264.44	38	318.06	19	169.71	43	350.26	31	38.50
16	मध्य प्रदेश	34	236.58	73	525.48	106	687.19	69	654.78	175	1315.85	200	209.80
17	महाराष्ट्र	33	237.36	41	307.66	97	639.72	59	333.05	88	713.4	25	11.10
18	मणिपुर	96	669.78	147	900.72	173	973.68	119	816.68	318	2206.77	217	219.13
19	मिजोरम	0	0	4	26.64	2	10.9	2	10.88	6	28.8		
20	नागालैंड	1	5.52	2	8.88	1	6.96	4	12.93	4	13.9		
21	ओडिशा	27	152.16	55	289.2	115	515.29	67	343.87	215	1164.14	90	64.57
22	पुदुचेरी	0	0	5	50.04	3	32.52	5	65.76	3	47.14		
23	पंजाब	5	37.44	6	43.56	10	66.68	8	56.06	17	133.3	25	24.15
24	राजस्थान	9	57.12	17	95.2	32	123.52	16	140.66	47	314.06	12	14.20
25	सिक्किम			1	2.64	3	7.02			2	9.6		

26	तमिलनाडु	4	17.28	19	108.6	22	143.02	14	90.15	24	191.72	7	9.00
27	तेलंगाना	9	82.56	17	153.02	19	109.52	17	131.72	33	312.96		
28	त्रिपुरा	1	7.68	1	6.24	14	57.12	3	14.46	17	101.46	8	8.00
29	उत्तराखंड	5	23.04	16	80.86	17	65.96	12	76.03	25	202.34	7	6.80
30	उत्तर प्रदेश	26	195.32	57	293.97	107	438.32	70	502.02	130	867.91	91	100.60
31	पश्चिम बंगाल	112	821.76	333	2060.8	418	2288.48	208	1432.21	519	3592.78	401	450.77
	कुल	573	4248.58	1214	7824.73	1882	10147.59	1041	7704.76	2517	17639.51	1616	1665.33

* वर्ष 2024-2025, 2025-26 के लिए रेपर्टरी अनुदान के अंतर्गत और विगत वर्षों की कुछ बकाया राशि डीबीटी माध्यम से संवितरित की गई।

''राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता'' की स्कीम के अंतर्गत आरके मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता सहित विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	0	0.00	1	22.50	1	7.50	0	0.00	0	0.000	0	0
2	असम	0	0.00	0	0.00	1	22.50	2	22.50	2	20,000	0	0
3	बिहार	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7,500	0	0
4	चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	22.50	3	35,000	0	0
5	दिल्ली	1	5.99	7	241.25	11	276.25	8	103.75	13	167.290	0	0
6	हरियाणा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	26.25	3	38.750	0	0
7	झारखंड	-	-	-	-	-	-	1	15.00	-	-	0	0
8	कर्नाटक	0	0.00	1	22.50	0	0.00	1	4.73	3	41.250	0	0
9	केरल	0	0.00	0	0.00	1	18.75	2	32.50	4	68.750	0	0
10	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	1	15.00	1	18.75	4	61.250	0	0
11	मध्य प्रदेश	0	0.00	1	0.59	0	0.00	0	0.00			0	0
12	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	11.25	3	33.750	0	0
13	ओडिशा	0	0.00	0	0.00	1	8.75	2	37.50	3	45,000	0	0
14	पुदुचेरी	0	0.00	1	3.75	0	0.00	0	0.00			0	0
15	राजस्थान	1	5.00	1	37.50	1	26.25	2	27.50	1	8.750	0	0
16	तमिलनाडु							1	15.00			0	0
17	तेलंगाना	0	0.00	0	0.00	2	41.25	0	0.00	4	40,000	0	0
18	उत्तर प्रदेश	1	12.50	2	93.75	1	22.50	1	7.50	1	18.750	0	0
19	पश्चिम बंगाल (एनपी)	2	6.75	0	0.00	2	37.50	3	31.25	3	45,000	0	0
20	आरके मिशन	1	728.00	1	738.56	1	766.50	1	807.00	0	0.000	1	212.50
	कुल	**6**	**758.24**	**15**	**1160.4**	**24**	**1257.75**	**28**	**1182.98**	**48**	**631.040**	1	212.50

"सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान" स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2026-27 तक व्यय का राज्यवार विवरण (लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-2024*		2024-25*		2025-26*		2026-27*	
		संगठनों की सं.	राशि	संगठनों की सं.	राशि	प्रतिपूर्ति किए गए/ अधिकृत संगठनों की सं.	राशि	प्रतिपूर्ति किए गए/ अधिकृत संगठनों की सं.	राशि	प्रतिपूर्ति किए गए/ अधिकृत संगठनों की सं.	राशि	प्रतिपूर्ति किए गए/ अधिकृत संगठनों की सं.	राशि
1	आंध्र प्रदेश	54	66.67	65	62.85	83	80.7	49	75.79	15	31.07	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	1	2.25	0	0	0	0	0	0	1	2.25	0	0
3	असम	25	34.66	48	96.21	68	114.11	27	36.59	47	98.13	0	0
4	बिहार	67	95.26	123	203.2	126	161	73	122.21	158	312.11	0	0
5	चंडीगढ़	4	8.25	1	0.5	3	21.69	1	10	1	1.01	0	0
6	छत्तीसगढ	6	13.03	3	5.5	4	7.5	3	6.42	10	20.31	0	0
7	दिल्ली	119	263.42	167	408.06	204	370.03	106	262.97	128	320.89	0	0
8	गोवा	2	3.75	1	0.625	1	1.5	2	2.12	3	6.75	0	0
9	गुजरात	11	19.12	17	23.4	16	12.34	3	3.59	10	19	0	0
10	हरियाणा	24	42.43	28	62.59	36	74.72	29	89.98	21	69.11	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	14	21.91	8	11	15	25.75	11	12.92	21	38.97	0	0
12	जम्मू और कश्मीर	41	43.63	52	50.33	49	33.76	30	36.37	71	103.74	0	0
13	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	6	11.37	11	14.26	7	8	10	12.75	15	21.92	0	0
15	कर्नाटक	203	284.6	218	349.42	221	208.22	235	494.09	196	400.77	0	0
16	केरल	28	57.52	30	48.38	30	40.27	21	65.13	34	120.99	0	0
17	मध्य प्रदेश	94	200.42	141	264.9	161	155.17	100	202.89	196	414.86	0	0
18	महाराष्ट्र	27	63.63	56	104.12	34	29.64	44	97.31	49	106.76	0	0
19	मणिपुर	93	115.04	162	196.17	237	249.25	140	164.8	161	249.78	0	0
20	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मिजोरम	2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	नागालैंड	2	2.25	5	4.62	4	1.35	2	1	0	0	0	0
23	ओडिशा	149	182.99	180	296.88	168	269.71	179	482.92	129	259.99	0	0
24	पुदुचेरी	1	3	0	0	0	0	0	0	4	11	0	0
25	पंजाब	13	22.21	12	23.27	11	22.65	9	22	10	32.87	0	0
26	राजस्थान	33	63.81	**48**	**81.16**	**57**	**46.28**	40	61.59	65	139.32	0	0
27	सिक्किम	0	0	0	0	1	3.75	3	7	2	6.75	0	0
28	तमिलनाडु	21	34.84	15	18.87	11	10.73	16	35.35	15	52.27	0	0
29	तेलंगाना	9	13.87	16	16.87	16	9.61	25	51.18	13	30.46	0	0
30	त्रिपुरा	5	5.75	16	16.15	23	24.94	10	7.87	15	28.08	0	0
31	उत्तराखंड	16	14.78	24	28.11	31	21.91	22	30	37	54.26	0	0
32	उत्तर प्रदेश	235	274.55	278	343.33	268	244.07	218	395.66	307	566.95	0	0
33	पश्चिम बंगाल	310	364.14	410	544.44	357	206.86	302	435.65	339	614.44	0	0
	कुल	**1615**	**2330.35**	**2135**	**3275.21**	**2242**	**2455.51**	**1710**	**3226.11**	2073	4134.81	0	0

* केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत निधियों के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया और केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) मॉड्यूल के कार्यान्वयन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, इस स्कीम के अंतर्गत चयनित अनुदानग्राही संगठनों को वित्तीय सहायता, भुगतान के केन्द्रीय नोडल एजेंसी मॉड्यूल के माध्यम से जारी की गई थी।

"हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता" की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		मामलों की सं.	राशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	मामलों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1	अरुणाचल प्रदेश	32	103.50	41	117.95	48	93	16	33.51	27	42.35	0	0
2	सिक्किम	6	16.50	4	10	4	16	1	5	0	0	0	0
3	हिमाचल प्रदेश	37	90.25	42	98.52	51	126.28	3	8.49	29	23.46	0	0
4	जम्मू और कश्मीर	43	73.25	69	117.02	29	47.52	10	16.25	31	40.07	0	0
5	लद्दाख	6	18.00	11	34	2	5.5			8	1.45	0	0
6	उत्तराखंड	79	171.97	58	91.24	63	81.75	14	18.25	39	47.38	0	0
7	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	2	3.25	0	0	0	0
8	उत्तर प्रदेश					2	2.5	2	1	4	4	0	0
	कुल	203.00	473.47	225.00	468.73	199.00	372.55	48.00	85.75	138.00	158.71	0	0

"बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता" की स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		संगठनों की सं.	राशि (लाख रुपए में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रुपए में)
1	अरुणाचल प्रदेश	46	394.06	57	518.19	50	392.31	60	416.33	61	352.95	3	24.00
2	आंध्र प्रदेश	7	5.45	2	8	10	9.18	4	9.00	3	4.25	0	0
3	असम	7	22.49	9	30	15	72.00	6	24.36	14	48.55	0	0
4	बिहार	2	7.5	2	8.5	2	8.50	2	10.48	1	2.25	0	0
5	चंडीगढ़ (यूटी)	10	69.5	7	49.5	4	40.00	15	120.16	5	26.46	0	0
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4	31.76	6	44.47	2	9.45	7	44.27	5	24.5	0	0
7	हिमाचल प्रदेश	81	375.52	78	550.97	31	167.63	49	317.38	142	498.12	15	74.39
8	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	1	7.5	6	23.5	4	20.00	5	33.50	6	32.13	0	0
9	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	89	523.06	45	319.62	44	246.42	6	26.94	224	768.44	14	61.37
10	कर्नाटक	38	212.59	33	272.8	11	62.78	49	333.82	34	153.56	8	58.37
11	केरल	0	0	1	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	0	0	5	29	4	30.00	1	5.00	1	2.5	0	0
14	महाराष्ट्र	3	15	11	38.25	14	41.00	14	57.45	12	42.11	0	0
15	मणिपुर	0	0	2	5.5	3	9.50	1	3.00	0	0	0	0
16	ओडिशा	0	0	1	5	2	12.00	2	11.00	1	2.5	0	0
17	पंजाब	0	0	2	8.5	2	10.00			0	0	1	4.99
18	सिक्किम	2	37.5	0	0	12	89.93	5	39.99	6	45.21	0	0
19	त्रिपुरा	10	82.91	7	37.5	7	41.5	17	97.20	5	23.89	0	0
20	तमिलनाडु	1	5	0	0	2	10.00	0	0	0	0	0	0
21	तेलंगाना	0	0	2	22.5	3	30.00	0	0	1	12.5	0	0
22	उत्तराखंड	34	310.8	26	252.42	5	35.50	38	354.97	22	151.73	0	0
23	उत्तर प्रदेश	19	110.31	27	195.28	11	44.15	34	236.27	36	181.81	10	61.19
24	पश्चिम बंगाल	12	40.22	72	168.00	92	175.51	70	82.75	125	176.9	4	10.65
कुल		**366**	**2251.17**	**401**	**2601**	**330**	**1557.36**	**385**	**2223.87**	**704**	**2550.36**	**55**	**294.96**

"स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान" स्कीम के अंतर्गत विभिन्न एनजीओ/राज्य सरकारों आदि को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	असम	2	10.3	1	5.4	0	0	0	0	2	16.7	0	0
3.	बिहार	0	0	1	0.6	1	6	0	0	2	15	0	0
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	1	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	1	10.25	0	0	2	11.2	3	23.25	1	1.25	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3	20.82	1	12.79	1	6	2	20	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	2	10	1	5	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	6	49.8	3	26.4	1	25	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	0	0	1	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मध्य प्रदेश	1	4	1	3	0	0	4	16.86	1	3.6	0	0
16.	महाराष्ट्र	2	5.4	0	0	2	8	2	25	1	14.06	0	0
17.	मणिपुर	2	11.93	4	15.98	6	35.23	2	3.88	2	12.5	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	1	4.5	0	0	0	0
19.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0
21.	ओडिशा	1	4	0	0	0	0	2	21.5	2	3.1	0	0
22.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	पंजाब	1	1.2	0	0	1	2	1	0.9	1	0.9	0	0
24.	राजस्थान	0	0	1	7.5	0	0	0	0	1	7.5	0	0
25.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	तेलंगाना	0	0	1	4.29	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	पश्चिम बंगाल	3	15.35	5	34.61	1	15	4	24.2	2	10.8	0	0
कुल		**22**	**133.05**	**20**	**119.47**	**15**	**108.43**	**23**	**150.09**	**17**	**96.41**	**0**	0

''संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलाप'' स्कीम के तहत विभिन्न एनजीओ/राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष							
		2018-19		2019-2020		2024-25		2025-26	
		संगठनों /राज्य सरकारों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों /राज्य सरकारों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों/ राज्य सरकारों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों/ राज्य सरकारों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	गुजरात	3	150.36	3	119.63	0	0	0	0
2	हरियाणा	0	0	1	54	0	0	1	36
3	हिमाचल प्रदेश	6	257.87	6	205.2	0	0	0	0
4	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	4	197.41	3	157.06	0	0	0	0
5	महाराष्ट्र	1	44.6	1	35.48	0	0	1	49.5
6	उत्तर प्रदेश	2	180	0	0	2	120	0	0
7	उत्तराखंड	6	229.82	6	182.85	0	0	0	0
कुल		**22**	**1060.06**	**20**	**754.22**	**2**	**120**	2	85.5

***चूंकि मंत्रालय ने 15.10.2018 को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलाप स्कीम शुरू की थी**

"टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी)" स्कीम के तहत विभिन्न एनजीओ/ राज्य सरकारों आदि को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026	
		संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	1	300	0	0
3	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्नाटक	1	254.7	0	0	0	0	0	0	0	0
6	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	2	1131.52	0	0	0	0
8	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	मेघालय	0	0	1	500	0	0	0	0	0	0
10	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	राजस्थान	1	94.5	0	0	1	54.91	0	0	0	0
14	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	1	369.57	0	0	0	0
16	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		**2**	**349.2**	**1**	**500**	**4**	**1556**	**1**	**300**	**0**	**0**

''संस्कृति के क्षेत्र में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति'' स्कीम के तहत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	अंडमान और निकोबार	-	-	3	0.9	3	0.9	6	1.8	1	0.3	0	0
2	आंध्र प्रदेश	20	6	1	0.3	9	2.7	3	0.9	12	3.6	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	8	2.4	28	8.4	5	1.5	58	17.4	5	1.5	0	0
4	असम	56	16.8	16	4.8	89	26.7	43	12.9	79	23.7	0	0
5	बिहार	43	12.9	3	0.9	63	18.9	7	2.1	67	20.4	0	0
6	चंडीगढ़	3	0.9	10	3	9	2.7	38	11.7	9	2.7	0	0
7	छत्तीसगढ़	35	10.5	21	6.3	50	15	53	16.2	58	17.7	0	0
8	दिल्ली	72	24	2	0.6	73	21.9	4	1.2	91	27.6	0	0
9	गोवा	4	1.2	5	1.5	6	1.8	19	5.7	2	0.6	0	0
10	गुजरात	26	7.8	5	1.5	23	6.9	18	5.4	30	9.3	0	0
11	हरियाणा	22	6.6	0	0	25	7.5	3	0.9	32	9.6	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	4	1.2	1	0.3	4	1.2	8	2.4	7	2.1	0	0
13	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	16	4.8	0	0	9	2.7	0	0	18	5.4	0	0
14	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
15	झारखंड	17	5.1	8	2.4	24	7.2	17	5.1	27	8.7	0	0
16	कर्नाटक	80	24	30	9	97	29.1	63	18.9	91	27.6	0	0
17	केरल	74	22.2	20	6	71	21.3	48	14.4	83	25.2	0	0
18	मध्य प्रदेश	128	38.4	27	8.1	131	39.3	104	31.8	178	53.7	0	0
19	महाराष्ट्र	132	39.6	40	12	127	38.1	81	24.3	138	42	0	0
20	मणिपुर	30	9	8	2.4	39	11.7	29	8.7	52	15.6	0	0
21	मेघालय	-	-	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0
22	मिजोरम	1	0.3	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0
23	नागालैंड	-	-	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0
24	ओडिशा	75	22.5	25	7.5	97	29.1	71	21.6	141	42.9	0	0
25	पुदुचेरी	2	0.6	0	0	-	-	0	-	1	0.3	0	0
26	पंजाब	14	4.2	4	1.2	11	3.3	5	1.5	7	2.1	0	0
27	राजस्थान	21	6.3	10	3	37	11.1	25	7.5	34	10.5	0	0
28	सिक्किम	2	0.6	1	0.3	3	0.9	2	0.6	2	0.6	0	0
29	तमिलनाडु	37	11.1	18	5.4	51	15.3	32	9.9	42	12.6	0	0
30	तेलंगाना	12	3.6	3	0.9	13	3.9	8	2.4	16	4.8	0	0
31	त्रिपुरा	3	0.9	2	0.6	10	3	6	1.8	8	2.4	0	0
32	उत्तराखंड	8	2.4	3	0.9	16	4.8	10	3	17	5.1	0	0
33	उत्तर प्रदेश	153	45.9	35	10.5	134	40.2	97	29.7	163	49.8	0	0
34	पश्चिम बंगाल	195	58.5	67	20.1	278	83.7	219	65.7	362	109.8	0	0
कुल		**1293**	**390.3**	**396**	**118.8**	**1507**	**452.4**	**1077**	**325.5**	**1773**	**538.2**	0	0

''संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति'' स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		अध्येताओं की संख्या	राशि (लाख रु. में)	अध्येताओं की संख्या	राशि (लाख रु. में)	अध्येताओं की संख्या	राशि (लाख रु. में)	अध्येताओं की संख्या	राशि (लाख रु. में)	अध्येताओं की संख्या	राशि (लाख रु. में)	अध्येताओं की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	अंडमान और निकोबार	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	10	13.2	12	17.4	12	11.4	8	14.4	16	16.8	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	1	2.4	0	-	2	1.2	2	1.2	4	4.8	-	-
4	असम	51	75.6	50	58.8	70	69.6	70	84	110	150.6	-	-
5	बिहार	23	32.4	31	48	47	44.4	35	43.8	80	100.8	-	-
6	चंडीगढ़	-	-	3	3.6	0	-	1	2.4	-	-	-	-
7	छतीसगढ़	22	30	8	11.4	12	12	12	12.6	19	24	-	-
8	दिल्ली	113	200.8	116	178.2	101	100.8	77	100.2	192	240	-	-
9	गोवा	6	12	1	2.4	0	-	0	-	2	2.4	-	-
10	गुजरात	22	37.2	18	27	23	21.6	14	19.2	36	45.6	-	-
11	हरियाणा	18	33.6	27	40.2	27	30	23	33	43	63	-	-
12	हिमाचल प्रदेश	2	2.4	7	7.2	4	3	4	5.4	6	6	-	-
13	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	7	13.2	14	19.8	13	10.2	13	11.4	27	30	-	-
14	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
15	झारखंड	23	44.4	15	17.4	24	30.6	15	24	24	31.2	-	-
16	कर्नाटक	62	100.8	43	61.2	57	64.8	33	48.6	68	89.4	-	-
17	केरल	43	68.4	62	85.2	60	54	54	73.8	84	96.6	-	-
18	मध्य प्रदेश	67	104.4	62	93	82	76.2	59	70.2	136	183.6	-	-
19	महाराष्ट्र	75	121.8	84	118.8	85	84	52	78.6	131	160.2	-	-
20	मणिपुर	58	102.2	33	37.2	62	60	64	70.2	88	112.8	-	-
21	मेघालय	1	2.4	2	1.2	0	0	1	1.2	2	2.4	-	-
22	मिजोरम	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
23	नागालैंड	3	4.8	2	1.8	3	3	3	3.6	4	6	-	-
24	ओडिशा	108	171.4	89	129.6	90	93.6	83	105.6	167	225.6	-	-
25	पुदुचेरी	4	7.2	4	7.2	2	1.8	2	3	2	1.2	-	-
26	पंजाब	8	12	6	7.2	11	10.2	6	9	20	24	-	-
27	राजस्थान	35	63.2	27	39.6	34	33	28	33	52	75	1	2.40
28	सिक्किम	-	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
29	तमिलनाडु	22	45.6	19	24.6	15	15	15	23.4	29	38.4	-	-
30	तेलंगाना	17	27.6	22	27	28	28.8	21	24.6	31	49.2	-	-
31	त्रिपुरा	6	8.4	3	3.6	6	7.8	5	6.6	14	16.8	-	-
32	उत्तराखंड	10	14.4	13	21	13	12.6	10	13.2	12	12.6	-	-
33	उत्तर प्रदेश	103	167.2	120	154.8	158	146.4	116	157.2	204	267.6	-	-
34	पश्चिम बंगाल	81	115	87	118.2	100	93	102	116.4	130	162.6	-	-
कुल		**1001**	**1634**	**980**	**1362.6**	**1141**	**1119**	**928**	**1189.8**	**1733**	**2239.2**	1	2.40

"सांस्कृतिक शोध घटक के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (टीएनएफसीआर)" स्कीम के तहत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	2	13.5	1	3	3	8.4	2	7.8
2	चंडीगढ़	1	6	-	-	-	-	1	3	-	-	0	0
3	छत्तीसगढ़	-	-									0	
4	दिल्ली	1	2.65	-	-	-	-	3	12.6	2	1.3	3	9
5	महाराष्ट्र	4	30.1	-	-	1	3.6	10	67.11	3	18	0	0
6	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	1	3	4	11.4	0	0
7	तेलंगाना	1	13.5	-	-	3	18	3	16.8	-	-	0	0
कुल		**7**	**52.25**	**0**	**0**	**6**	**35.1**	**19**	**105.51**	**12**	**39.1**	5	**16.8**

"वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता" स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को जारी की गई निधियों का विवरण

		2021-2022		2022-2023		2023-2024		2024-2025		2025-2026		2026-27	
		संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)	संगठनों की संख्या	राशि (लाख रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	89	72.29	148	84.66	191	153.3	177	115.9	194	139.89	75	18.96
2	असम	1	0.48	1	1.57	3	2.41	2	0.9	5	10.09	1	0.18
3	बिहार	-	-	-	-	14	15.47	7	4.62	9	7.8		
4	दिल्ली	-	-	-	-	8	5.87	10	4.92	11	9.95	3	0.90
5	हरियाणा	1	0.93	2	0.56	4	3.69	4	1.94	3	1.94	1	0.48
6	गोवा	-	-	-	-	-	-	41	7.1175	111	59.46	77	10.39
7	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	1	0.3	2	2.52	2	0.36
8	जम्मू और कश्मीर									1	0.06	2	0.30
9	झारखंड	5	3	7	3.59	4	3.88	3	2.76	2	1.8		
10	कर्नाटक	146	59.55	130	64.32	344	341.98	397	354.67	440	448.06	97	21.66
11	केरल	57	24.49	51	25.3	67	64.21	80	85.82	93	118.53	33	25.62
12	मध्य प्रदेश	12	5.04	6	3.86	7	6.95	13	14.9498	15	25.68	4	1.17
13	महाराष्ट्र	448	190.49	740	273.49	1239	795.97	1392	541.19	1471	651.77	795	77.7
14	मणिपुर	16	7.84	5	0.6	13	14.7	14	14.94	19	21.26	1	0.30
15	नागालैंड	2	0.92	1	0.12	2	3.28	2	1.08	1	0.72	1	0.29
16	ओडिशा	828	276.95	966	306.77	1460	1063.4	1995	1106.51	2164	1627.37	1404	337.09
17	पंजाब	-	-	-	-	-	-	1	0.3	1	0.6	1	0.18
18	राजस्थान	2	1.23	2	0.71	2	1.36	2	2.52	3	1.57	5	0.84
19	तमिलनाडु	22	15.49	21	14.6	41	46.96	34	36.605	49	54.17	14	3.83
20	तेलंगाना	342	217.29	489	268.16	293	274.94	309	207.068	372	335.48	185	64.80
21	त्रिपुरा	2	0.92	1	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-
22	उत्तर प्रदेश	46	13.08	58	15.46	82	67.24	109	80.46	132	115.91	61	10.22
23	उत्तराखंड	-	-	-	-	2	2.43	4	4.83	2	1.38	-	-
24	पश्चिम बंगाल	32	12.31	27	11.71	35	28.53	39	20.37	45	37.88	21	8.66
कुल		**2051**	**902.3**	**2655**	**1075.6**	**3811**	**2896.57**	**4636**	**2609.77**	**5145**	**3673.89**	2783	583.96
एलआईसी द्वारा वितरित		978	639.87	996	783.58	0	0	0	0	0	0		
कुल योग		**3029**	1542.17	**3651**	**1859.18**	**3811**	**2896.57**	**4636**	**2609.77**	**5145**	**3673.89**		

अनुलग्नक- III

'कला संस्कृति विकास योजना' के संबंध में दिनांक 20.07.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के भाग (ड.) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत और अस्वीकार किए गए आवेदनों का घटक-वार विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	विशेषज्ञ समिति/विशेषज्ञ सलाहकार समिति/संचालन समिति/मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित/स्वीकृत आवेदनों की संख्या	विशेषज्ञ समिति/विशेषज्ञ सलाहकार समिति/संचालन समिति/मूल्यांकन समिति द्वारा अस्वीकार किए गए आवेदनों की संख्या
1.	गुरु-शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम (रेपर्टरी अनुदान)	910	966
2.	राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	30	141
3.	सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान	692	3688
4.	हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता	44	22
5.	बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास के लिए वित्तीय सहायता	216	74
6.	टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	0	05
7.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति	2609	400
8.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम	400	2438
9.	वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता	388	2003
